पंजीकृत

ई. मेल :- dforudraprayag@gmail.com
फोन / फैक्स नं0 :- +91-8126660575::
पता :- माई की मढ़ी निकट जवाड़ी बाईपास रूद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक :- 1925/12-1(2) दिनांक 13/12/2022::

सेवा में

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय :- **जनपद-रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित सनबैण्ड-सन-स्यूण्ड-सतेराखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.9580 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में।**
PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/119756/2021

सन्दर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या-8बी./यू.सी.पी./06/94/2021/एफ.सी./1139 दिनांक 06.12.2021।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक प्रकरण में भारत सरकार स्तर से प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0, रुद्रप्रयाग ने अपने पत्रांक-1701 दिनांक 30.11.2022 के द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत की है, जो (प्रश्न एवं उत्तर कॉलमवार/बिन्दुवार) निम्न प्रकार प्रेषित है-

बि.सं.	शर्त का विवरण	आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
3	**प्रतिपूरक वनीकरण:-**	
(क)	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1916 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 1.916 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायें।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1916 पौधों का रोपण कार्य एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 1.916 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) **रू0 7,10,648.00 (सात लाख दस हजार छः सौ अड़तालीस) मात्र** कैम्पा कोष में जमा कर दी गई है, **संलग्नक-1** तथा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
(ख)	राज्य सरकार पौधारोपण योजना के साथ क्षेत्र का नाम एवं coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।	पौधारोपण योजना के साथ क्षेत्र का नाम एवं coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र संलग्न कर प्रेषित हैं। **संलग्नक-2 एवं 3**
(ग)	वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	उक्त क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्य न किये जाने से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न है। **संलग्नक-4**
(घ)	राज्य सरकार निर्देशित guideline para 1.21 (ii) के अनुसार FCA 1980 के उल्लंघन फलस्वरुप Penal NPV की निर्धारित राशि कैम्पा कोष में online web portal द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण के माध्यम से जमा करेगी जिसमें 12% annual simple interest date/year of violation से deposit किये जाने तक की तिथि तक calculate किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्देशित guideline para 1.21 (ii) के अनुसार FCA 1980 के उल्लंघन फलस्वरुप Penal NPV की निर्धारित राशि **रू0 9,06,651.00 (नौ लाख छः हजार छः सौ इक्यावन) मात्र** कैम्पा कोष में online web portal के माध्यम से जमा कर दी गई है, जिसमें 12% annual simple interest date/year of violation से deposit किये जाने तक की तिथि तक calculate किया गया है। **संलग्नक-1 के अनुसार**

क्रमशः :-2 पर

(ङ)	The KML files of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP are shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval as the case may be.	उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन एवं और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्राविधान शामिल किये जा सकते हैं।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन एवं और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा कर दी गई है। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
5	**शुद्ध वर्तमान मूल्य**	
(क)	इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WC (C) संख्याः 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04. 2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998– एफ0सी0 (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006– एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.9580 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त के अनुपालन में इस प्रस्ताव के तहत 0.9580 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य **रुपये 8,09,510.00 (आठ लाख नौ हजार पांच सौ दस) मात्र की धनराशि** कैम्पा कोष में जमा कर दी गई है। **संलग्नक–1 के अनुसार**
(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। **(संलग्नक–5)**
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं पातन होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 32 वृक्षों एवं 03 saplings से अधिक नही होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं पातन होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 32 वृक्षों एवं 03 saplings से अधिक नही होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा होने वाली धनराशि ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किया गया है। **संलग्नक–1 के अनुसार**

क्रमश :–3 पर

8	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा। (संलग्नक–6)
9	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ायेगा। (संलग्नक–7)
10	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनिमय साइनेज लगाए जायेंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
11	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
12	केन्द सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
13	वन भूमि पर श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
15	सम्बन्धित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
16	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
17	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
18	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
19	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लघंन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–एफसी दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाही होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
20	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

क्रमश :–4 पर

21	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य करेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगीं। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी एवं राज्य सरकार डम्पिंग क्षेत्र के वृक्षों की सूची पृथक से इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
22	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
23	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।
(प्रमाण पत्र मूल सहित तीन प्रतियों में)

भवदीय

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

संख्या– 1925 **/दिनांकित।**

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0, रुद्रप्रयाग।

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

0/C

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई(सिं.ख.) रूद्रप्रयाग।

पत्रांकः 4701 / पी.एम.जी.एस.वाई. (सिं.ख.) रूद्रप्रयाग / अनुपालन आख्या दिनांक 30 / 11 / 2022

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
वन प्रभाग रूद्रप्रयाग,
जनपद रूद्रप्रयाग।

विषयः– **जनपद रूद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित सनबैण्ड सन स्यूण सतेराखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.9580 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भ : **आपका पत्रांक– 396 / 12–1(2) दिनांक 03–08–2022**

महोदय,

उपरोक्त विषय सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित मोटर मार्ग पर Online Proposal No-FP/UK/ROAD/119756/2021 प्रस्ताव पर 0.9580 है0 वनभूमि की सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी थी, जिसकी अनुपालन आख्या आपको प्रेषित की गयी थी। जिस पर आपके द्वारा कमियों के कारण खण्ड को लौटायी गयी थी। कमियों का निराकरण करने के उपरान्त पुनः सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु उल्लेखित शर्तो की संशोधित अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नानुसार है :–

बिन्दु संख्या	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जायेगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	उक्त शर्त का अनुपालन वन विभाग रूद्रप्रयाग द्वारा किया जाना है।
3	**प्रतिपूरक वनीकरण :** क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1916 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @CA rate for 1.916 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेंशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रतातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायें। ख) राज्य सरकार पौधारोपण योजना एवं क्षेत्र का नाम एवं Coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी। ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। घ) राज्य सरकार निर्देशित guideline para 1.21 (ii) के अनुसार FCA, 1980 के उल्लंघन फलस्वरूप Penal NPV की निर्धारित राशि कैम्पा कोष में online web portal द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण के	(क) धनराशि जमा कर दी गयी है। छाया प्रति संलग्न है। (ख) कॉडिनेट एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 1.916 हे0भूमि पर डिजिटल एवं टोपो शीट मानचित्र संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं। (ग) उक्त शर्त का अनुपालन वन विभाग रूद्रप्रयाग द्वारा किया जाना है। (घ) Penal NPV की धनराशि Online Web Portal द्वारा जमा कर दी गई है। (सलंग्न–1)

	interest date/Year of violaton से deposit किये जाने तक की तिथि तक calculate किया जायेगा। ड) The KML files of the area to be diverted, the CA areas the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval as the case may be.	(ड) उक्त शर्त का अनुपालन वन विभाग रूद्रप्रयाग द्वारा किया जाना है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरण वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और सतम्भन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा कर दी जायेगी।
5	**शुद्ध** वर्तमान **मूल्य** क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या– 202/1995 में IA नं0 556 दिनांक 30–10–2020, 01–08–2003, 28–03–2008, 24–04–2008 एवं 09–05–2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक–5–1/1998–एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18–09–2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03–10–2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05–02–2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.958 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यार्वतन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या– 202/1995 में IA नं0 556 दिनांक 30–10–2020, 01–08–2003, 28–03–2008, 24–04–2008 एवं 09–05–2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक–5–1/1998–एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18–09–2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03–10–2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05–02–2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस प्रस्ताव के तहत 0.958 है0 वनक्षेत्र के प्रत्यार्वतन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा करा दिया गया है (छाया प्रति संलग्न–2)। ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दी जायेगी(प्रमाण–पत्र संलग्न–3
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 32 वृक्षों एवं 03 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई न्यूनतम करेगा। जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 32 वृक्षों एवं 03 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में काटे जायेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा कर दी गयी है।

7	परियोजना के तहत् प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	परियोजना के तहत् प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ई–पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फण्ड में जमा करा दिया गया है (छाया प्रति संलग्न–4।
8	एफ.आर.ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	एफ.आर.ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर का प्रमाण–पत्र संलग्न –5 है।
9	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा। (संलग्न – 6)
10	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जायेंगे।	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगा दिये जायेंगे।
11	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति की इस प्रस्ताव में आवश्यकता नहीं है।
12	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
13	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।
14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषत वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।
15	सबन्धित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।	सबन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन करवाया जायेगा।
16	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
17	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
18	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
19	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या–11–42/2017–FC दिनांक 29–01–2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं होगा यदि उल्लंघन पाया जाता है तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या– 11–42/2017–FC दिनांक 29–01–2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई की जायेगी।

20	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें का अनुपालन किया जायेगा।
21	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलबे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलबा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलबे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूररा किया जाएगा। मलबा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी एवं राज्य सरकार डम्पिंग क्षेत्र के वृक्षों की सूची पृथक से इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर मलबे का निस्तारण किया जायेगा व अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे नहीं गिराया जायेगा। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलबा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलबे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से किया जायेगा। मलबा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं दी जायेगी।
22	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियमा/न्यायालय ओदश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियमा/न्यायालय ओदश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति ले ली जायेगी।
23	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड की जाएगी।	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल पर अपलोड कर दी जायेगी।

अतः संशोधित अनुपालन आख्या विधिवत् स्वीकृति की अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार। (तीन प्रतियो मे)

30/11/21

अधिशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड,
रूद्रप्रयाग।

पत्रांकः– /पी.एम.जी.एस.वाई. (सिं.ख.) रूद्रप्रयाग/व0भू0 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड,
रूद्रप्रयाग

JET /Letter | 980

संलग्न – 01,

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (In Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/119756/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/119756/2021) Sanbend san syund to Saterakhal Motor road	ROAD1197562021858	61119756858	06 Dec 2021	CA: 0/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 809510/-, tree plantation for 10 year: 710648/- Penal NPV: 906651/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 2426809/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 21 Mar 2022 Bank Name: Union Bank Of India Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 22 Mar 2022 Transaction Date: 21 Jun 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/050320221106142586_FPUKROAD1197562021_User_Fund_Demanded_2116Y.p Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD1197562021858)
2	FP/UK/ROAD/38437/2019 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/38437/2019) Construction of Ukhimath Uniyana MR Km.4.00 to Pali Saruna Motor Road	ROAD384372019630	6138437630	29 Jan 2021	CA: 1094499/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 1371435/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 2465934/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 09 Feb 2021 Bank Name: Corporation Bank Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 08 Mar 2021 Transaction Date: 09 Mar 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/211912331211Z0QCYDemandnote.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD384372019630)

संलग्नक - 2

Main Attachment 1.7

पीएम०जीएसवाई० के अन्तर्गत सनबैण्ड सन स्यूण्ड सतेराखल मोटर मार्ग की वनभूमि हस्तान्तरण हेतू चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण का भूमि क्षेत्रफल – (1.916 है०)

Compensatory Afforestation

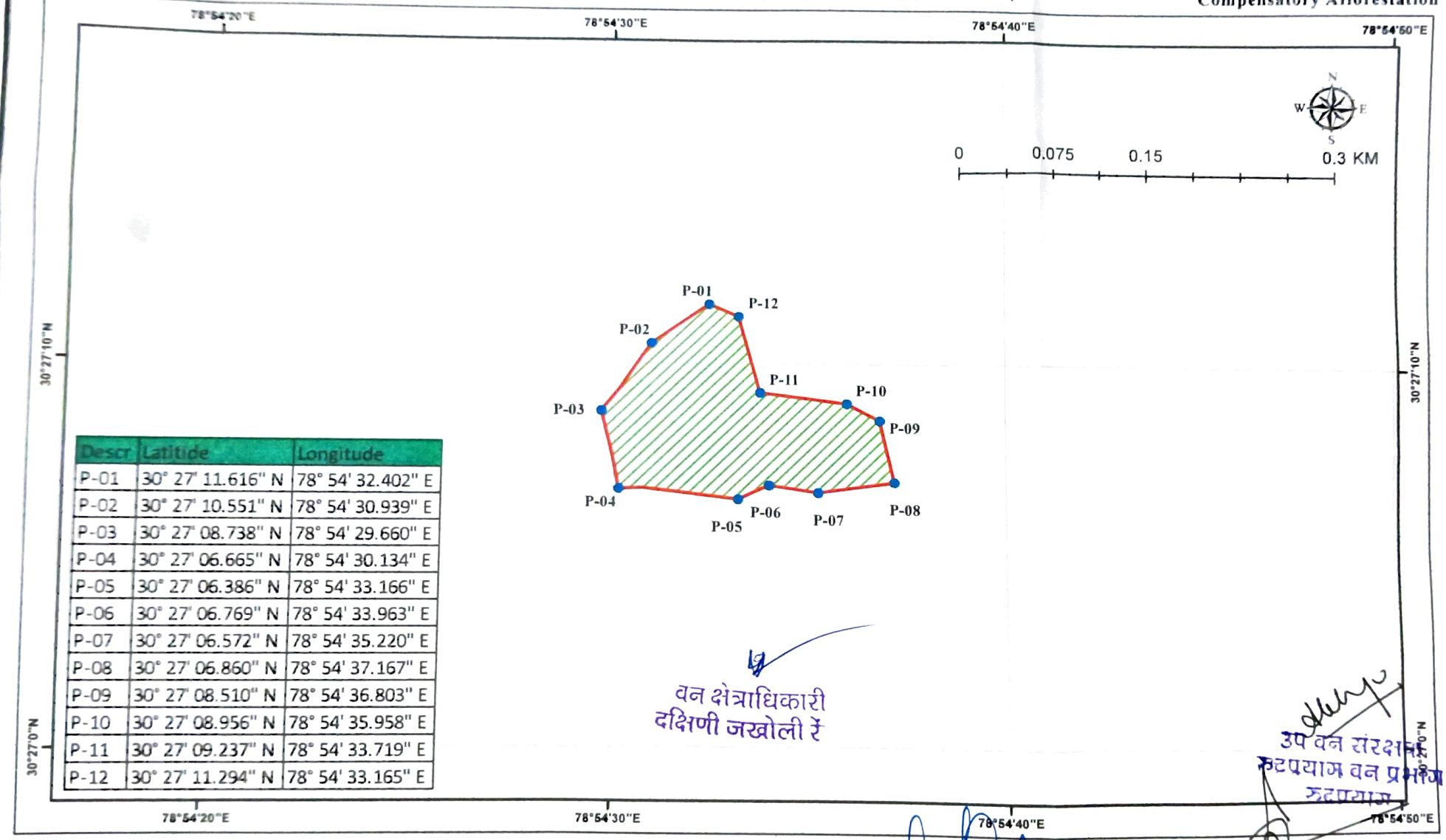

Descr	Latitide	Longitude
P-01	30° 27' 11.616" N	78° 54' 32.402" E
P-02	30° 27' 10.551" N	78° 54' 30.939" E
P-03	30° 27' 08.738" N	78° 54' 29.660" E
P-04	30° 27' 06.665" N	78° 54' 30.134" E
P-05	30° 27' 06.386" N	78° 54' 33.166" E
P-06	30° 27' 06.769" N	78° 54' 33.963" E
P-07	30° 27' 06.572" N	78° 54' 35.220" E
P-08	30° 27' 06.860" N	78° 54' 37.167" E
P-09	30° 27' 08.510" N	78° 54' 36.803" E
P-10	30° 27' 08.956" N	78° 54' 35.958" E
P-11	30° 27' 09.237" N	78° 54' 33.719" E
P-12	30° 27' 11.294" N	78° 54' 33.165" E

Compensatory Afforestation Area — CA Boundary GPS

वन क्षेत्राधिकारी
दक्षिणी जखोली रें

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई० सि० ख०
रुद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सि० ख०, रुद्रप्रयाग

संलग्नक – (3)

पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत सनबैण्ड सन स्यूण्ड सतेराखल मोटर मार्ग की वनभूमि हस्तान्तरण हेतु
चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण का भूमि क्षेत्रफल – (1.916 है0)

Main Attachment 1.6

Compensatory Afforestation

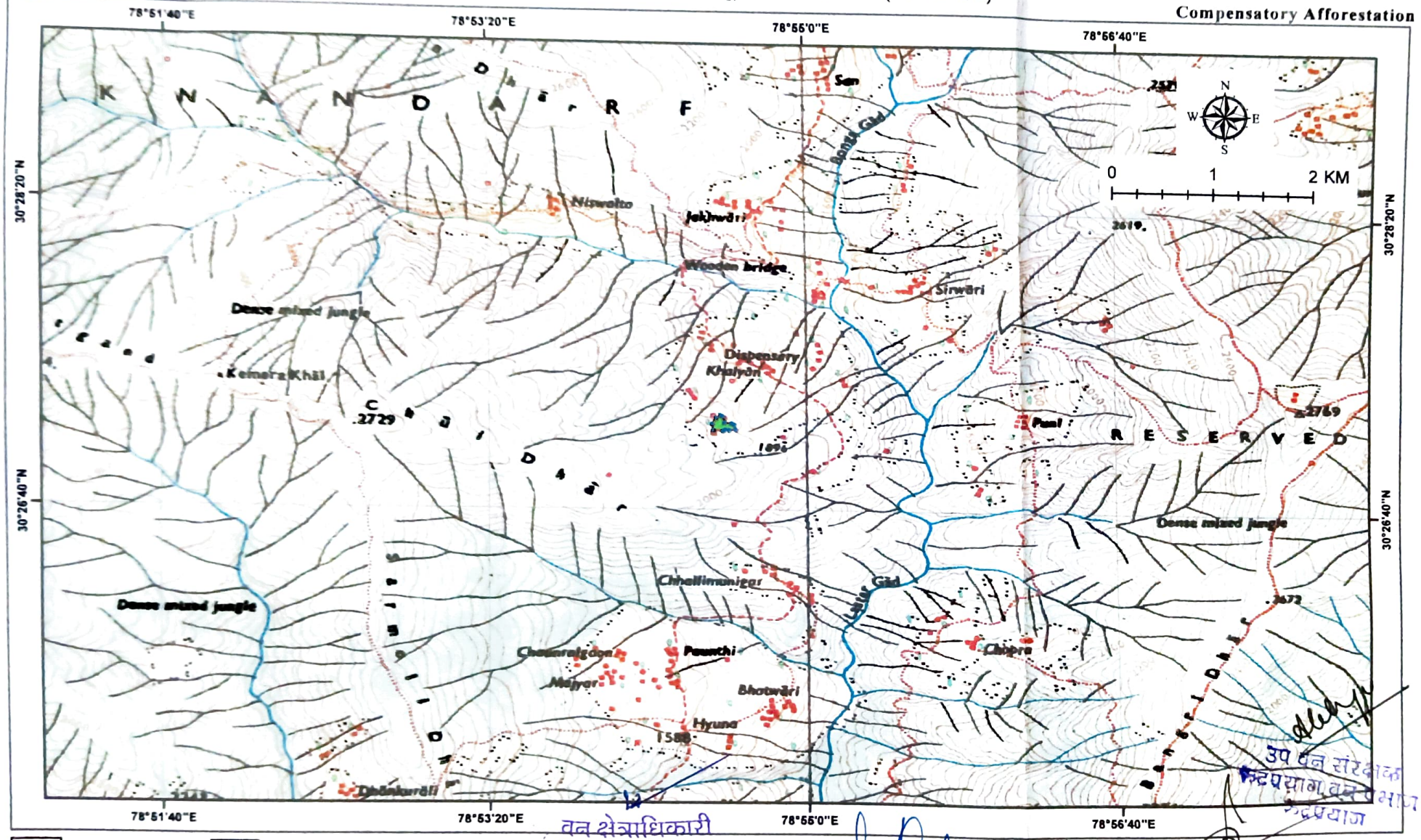

Plantation Area Plantation Site GPS

वन क्षेत्राधिकारी
दक्षिणी जखोली रें

सहायक अभियन्ता–

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
सि० खं०, रुद्रप्रयाग

संलग्नक -(4)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण–पत्र

योजना का नाम :– जनपद–रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित सनबैण्ड–सन–स्यूण्ड–सतेराखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.9580 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में।
PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/119756/2021

"प्रमाणित किया जाता है उक्त परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने वाली 0.958 है0 वन भूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित **1.916 है0 नरसिंग क0सं0–10 आरक्षित वन भूमि** वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है एवं उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

वन क्षेत्राधिकारी
दक्षिणी जखोली रें

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

परियोजना का नाम :– जनपद–रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत प्रस्तावित सन्–स्यूण्ड–सतेराखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.958 है0 वन भूमि के एवज में 1.916 है0 आरक्षित भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वृक्षारोपण योजना।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दस वर्षीय (एस0 एस0 पी0)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का नाम –	नरसिंग क0सं0–10 आरक्षित भूमि		
क्षतिपूरक वनीकरण का प्रस्तावित क्षेत्रफल (है0 में)	**1.916**	है0	वर्ष 2021–22

क्र. सं.	रोपित प्रजातियां	संख्या
1	देवदार	500
2	बांज	916
3	पदम	500
	योग	**1916**
	रोपित कुल पौध	**1916**

प्रथम चरण

क्र0	कार्य का विवरण	इकाई		इकाई दर प्रति रु0	व्यय
1	सर्वे व सीमांकन	1.916	है0	168.00	321.89
2	क्षेत्र की सफाई कार्य (झाडी कटान आदि कार्य)	1.916	है0	1682.00	3222.71
3	अग्रिम दीवालवन्दी कार्य (फेन्सिंग) कार्य	1.916	है0	48000.00	91968.00
4	गड्ढो का खुदान (0.30x0x30x0.45cum) रेखांकन सहित	1916	प्र0ग0	11.00	21076.00
5	पौधों की कीमत प्रथम वर्ष उगाने का	1916	प्र0 सं0	10.00	19160.00
6	कण्टूर नाली सीमांकन (235 र0मी0 प्रति है0)	450	र0मी0	1.30	585.34
7	कण्टूर नाली खुदाई एवं ड्रेसिंग (0.45 X 0.30)	450	र0मी0	92.00	41423.92
8	घास लगाने पर व्यय (05 जड़ प्रति र0मी0)	1.916	प्र0है0	2400.00	4598.40
9	अन्य व्यय निरीक्षण बटिया, हथियार आदि।	1.916	है0	1350.00	2586.60
	प्रथम चरण का योग				**182356.26**

द्वितीय चरण

1	झाड़ी कटान	1.916	है0	1682.00	3222.71
2	गड्ढा भरान कार्य (0.30x0.30x0.45)Cum	1916	सं0	2.00	3832.00
3	पौध ढुलान कार्य	1916	सं0	13.00	24908.00
4	पौध रोपण कार्य व थावला बन्दी कार्य	1916	सं0	4.00	7664.00
5	घास ढुलान	1.916	प्र0है0	200.00	383.20
6	कण्टूर खाईयों में घास रोपण व बीज बोना	1.916	प्र0है0	300.00	574.80
7	निराई गुडाई करना प्रथम बार	1916	सं0	2.75	5269.00
8	निराई गुडाई करना मय मलचिग कार्य द्वितीय बार	1916	सं0	2.40	4598.40
9	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	1916	सं0	3.00	5748.00
10	घेरबाड़ के किनारे रोपण हेतु कटिंग बनाना।	1.916	प्र0है0	643.00	1231.99
11	घेरबाड के चारों तरफ कटिंग लगाना।	रोपण रक्षक द्वारा किया जायेगा।			
12	चौकीदारी / वनीकरण सुरक्षा व्यय (रा माह)	1.916	प्र0है0	1000	22992
13	अन्य व्यय बोर्ड क्रय, रस्सी, कण्डी आदि।	1.916	है0	1500.00	2874.00
	कुल योग द्वितीय चरण				**80075.39**

तृतीय चरण

	10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति (वीडिंग अप)				
1	पौध की लागत	192	स0 / पौध	13.00	2490.80
2	पुनः गडढा खोदना	192	स0 / पौध	11.00	2107.60
3	पौध ढुलान एव रोपण करना	192	स0 / पौध	20.00	3832.00
4	पौधों की निराई–गुडाई तथा मलचिंग कार्य	रोपण रक्षक द्वारा किया जायेगा।			
5	मृत पौध बदलना, बीज बुआन, घास रोपण निराई–गुड़ाई व वनीकरण की सुरक्षा कार्य (12 माह)।	1.916	स0 / पौध	1000.00	22992.00
6	गणना, फोटोग्राफी अभिलेखीकरण व अन्य व्यय।	1.916	स0 / पौध	350.00	670.60
	तृतीय चरण का योग				**32093.00**

चतुर्थ चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद चतुर्थ वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.916	है0	1000.00	22992.00
चतुर्थ चरण का योग :–					22992.00
पंचम चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद पंचम वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.916	है0	1000.00	22992.00
पंचम चरण का योग :–					22992.00
छठवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद षष्ठ वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.916	है0	1000.00	22992.00
छइवें चरण का योग :–					22992.00
सांतवा चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद सप्तम वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.916	है0	1000.00	22992.00
सातवें चरण का योग :–					22992.00
आठवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद अष्टम वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.916	है0	1000.00	22992.00
आठवें चरण का योग :–					22992.00
नवम् चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद नवम वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.916	है0	1000.00	22992.00
नवें चरण का योग :–					22992.00
दशम चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद दशम वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.916	है0	1000.00	22992.00
दशवें चरण का योग :–					22992.00

5–कुल व्यय सांरास प्रति है0 व कुल व्यय

क्र.सं.	वर्ष का नाम	प्रति है0 व्यय
1	प्रथम वर्ष	182356.26
2	द्वितीय वर्ष	80075.39
3	तृतीय वर्ष	32093.00
4	चतुर्थ वर्ष	22992.00
5	पंचम वर्ष	22992.00
6	शष्ठ वर्ष	22992.00
7	सप्तम वर्ष	22992.00
8	अष्टम वर्ष	22992.00
9	नवम् वर्ष	22992.00
10	दशम वर्ष	22992.00
कुल व्यय रुपये		455468.65
मृदा एवं जल सरंक्षण कार्य		255179.59
कुल योग		710648.23

प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक–1459/3–5–2 दिनांक 01.07.2021 के अनुसार वसूली वर्ष 2021–22 हेतु देय दर 370902.00 रू0/है0	1.916	Ha.	710648.23
या	710648.00		

वन क्षेत्राधिकारी
दक्षिणी जखोली रें

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

संलग्न–5

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शुद्ध वर्तमान मूल्य में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड,
रूद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड,
रूद्रप्रयाग

 संलग्न - 6

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand | Office of the District Collector Rudraprayag

No —

Dated 30-12-2020

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.958 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of IRR Div PMGSY, Rudraprayag for the Construction of Sunband San Syund to Saterakhal Motor Road (2.800Km) in Rudraprayag district falls within jurisdiction of Syund village in Rudraprayag tehsil.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.9580 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to Vth annexure 23.2, 23, 23.1

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;\

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl:- As above.

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)
जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र 30.2 संलग्न - 6

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT RUDRAPRAYAG (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Rudraprayag district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Manuj goyal, I.A.S deputy commissioner,. Rudraprayag on dated 30.12.2020 at time 11:00 am at Rudraprayag in which application claiming rights in Forest.... area measuring 0.9580 hect for the construction of Sanbend San Syund Saterakhal Motor Road (2.800 Km) forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of Rudraprayag sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;..Rudraprayag.

Dated:.30-12-2020

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee
जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

संलग्न–07

मार्ग के मार्ग के खड्ड साइड में रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण अपने व्यय पर किये जाने की बचन बद्धता का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मार्ग निर्माण के पश्चात् मार्ग के खड्ड साइड में रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा Strip Plantation करा दिया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड,
रूद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड,
रूद्रप्रयाग